

संत तुलसीदास महाविद्यालय रेहला,
पलामू (झारखण्ड)



नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू
द्वारा स्नातक (सेमेस्टर-6) समाजशास्त्र के-CC-14
पत्र के अन्तर्गत समाजशास्त्रीय अध्ययन।

"गरीबी की समस्या"

सत्र:-2019-22

Dr. P. Kumar
21/03/22

नाम:- अनुपमा कुमारी

क्रमांक:- 18BA-1413369

पंजीयन संख्या:- NP4/16520/18

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुपमा कुमारी
क्रमांक..... 18 BA-1413369 पंजीयन संख्या.
..... NP4/16520/18 के परिपेक्ष्य में "गरीबी
की समस्या" शीर्षक अनुसंधान स्नातक प्रतिष्ठा
समाजशास्त्र विभाग संत तुलसीदास महाविद्यालय,
रेहला, पलामू से मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सम्पन्न
किया।

Dr. P. Kumar
21/01/23

सर्वेक्षण निर्देशक

प्रो० प्रमोद कुमार
संत तुलसीदास महाविद्यालय,
रेहला, पलामू।

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू।

आभार ज्ञापन

सर्वप्रथम में अपनी परमादरणीय गुरु प्रो० प्रमोद कुमार विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग संत तुलसीदास महाविद्यालय रेहला, पलामू, झारखण्ड जिनकी असीम शुभार्शीवाद से मेरे इस पथ के कठिनाईयों को सहज एवं सुविधाजनक बना दिया।

में अपने इस सर्वेक्षण क्षेत्र के सभी छात्र-छात्राओं विशेषकर सुचनादाताओं की अभारी हूँ, जिन्होंने तथ्यों के संकलन में मेरी मदद की।

साथ ही मैं अपने परिवार के सदस्यों की भी आभारी हूँ, जिनकी वजह से मुझे इस सर्वेक्षण कार्य को करने में बहुत सहायता मिली है।

सर्वेक्षणकर्ता

Dr. P. Kumar
21/04/23

नाम:- अनुपमा कुमारी

क्रमांक:- 18BA-1413369

पंजीयन संख्या:- NP4/16520/18

सत्र:- 2018-21

विषय सूची

अध्ययन का वितरण

1. परिचय

- विषय-वस्तु
- अध्ययन का उद्देश्य
- तथ्यों के संकलन से संबंधित कठिनाइयाँ

2. अध्ययन क्षेत्र

- राँची क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय

3. तथ्य संकलन संबंधी विधियाँ

- प्राकल्पना
- सर्वेक्षण
- अवलोकन
- साक्षात्कार
- अनुसूची
- निदर्शन

4. सुझाव एवं निष्कर्ष

5. तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण

6. परिशिष्ट

- पुस्तक सूची
- फोटो या पेपर कटिंग
- साक्षात्कार-अनुसूची
- ग्राफ पेपर

बी

एक जैसी दशा जिसमें समान्यतः भौतिक किंतु कभी-कभी स्फृतिक संसाधनों का अभाव होता है।

बी की अवधारणा

वास्तव में गरीबी उस दशा का परिचालक है कि जब किसी देश अधिकांश व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है या परिश्रम करने की बावजूद भी जब व्यक्ति को भोजन प्राप्त न जा ही और रहने की मकान भी न हो। पहनने की वस्त्र न हो और मार पड़ने पर इलाज के लिए पर्याप्त रूपये न हो। इस स्थिति को हम निर्धनता या गरीबी का नाम देते हैं।

गोडार्ड कहते हैं "निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्तता है जो एक व्यक्ति और उसके आश्रित की स्वस्थ एवं ताकतवर भांग रखने के लिए आवश्यक है।

लिन और गिलेन के अनुसार :

गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय के कारण जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं कर पाता, जिससे कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रह सके और वह व्यक्ति और आश्रित, समाज के जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभप्रद ढंग से कार्य कर पाते हैं।

गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका समान्य पैमाना नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक देश विभिन्न राज्यों में निर्धनता का स्तर समान न होकर असमान होता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निर्धनता व्यक्ति की कयशक्ति और बाजार भाव से सीधी जुड़ी है। व्यक्ति की आय यदि कम है और महंगाई अधिक है तो व्यक्ति अपने सीमित वेतन में निश्चय ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने से असफल रहेगा।

गरीबी के कारण

आर्थिक कारण

गरीबी का संबंध आर्थिक पहलुओं से भी है आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के संदर्भ में ही किया जाता है अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार-चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मंदी, आदि गरीबी को जन्म देते हैं। भारत में उत्पाद के लिए साधारणतः परंपरागत साधनी का प्रयोग किया जाता है। अतः यहां पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाना भी कठिन हो जाता है। आवश्यक उत्पादन के भाव में गरीबी का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक कारक

सामाजिक कारकों के अंतर्गत हम शैक्षणिक कमियां। स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और पैतृत्व के ज्ञान का अभाव तथा परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे यहां शिक्षितों में बेकारी पनपी है। शिक्षा उन्हें जीवन यापन के लिए पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाती।

बढ़ती जनसंख्या

भारत प्रतिवर्ष बढ़ती जनसंख्या की बाढ़ ने भी गरीबी को बढ़ावा दिया है। जिस गति से यहां जनसंख्या बढ़ती है। उस गति से जीवन यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती। परिणामस्वरूप लोगों को बेकारी आदि भूखमरी का सामना करना पड़ता है। माल्थस ने अपने लेख 'एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या को गरीबी के लिए उत्तरदायी माना है।

बेकारी

बेकारी होने पर व्यक्ति की दूसरी पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय न होने पर वह अपना तथा अपने पर आश्रितों का भरण-पोषण नहीं कर पाता।

लगभग पिछले 10 साल से यहाँ पर कृषि कार्यों में बढ़ोतरी नहीं आई है जितनी उमीद थी परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और गड़बड़ है। यह की ग्रामीण लोगों के पास अपना जीवन जीने के लिए तब तक पैसे भी नहीं हो पाते हैं परिणामस्वरूप गरीबी के कारण आत्महत्या की समस्याएं बढ़ रही हैं। झारखण्ड में इसका मुख्य कारण कृषि परित्यक्त कार्य व सामाजिक कार्य है। यह पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का शिकार है यहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ही निचे है।

झारखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में 40.84 प्रतिशत लोग गरीब हैं।
की कुल जनसंख्या 104.09 लाख है ?

शहरी क्षेत्रों में 24.83 प्रतिशत लोग गरीब हैं जिनकी कुल संख्या 20.24 लाख है।

झारखण्ड में BPL (गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत)

BPL प्रतिशत (%)	जिला
1. 80% और उससे अधिक	गुलमा, सिंहभूम, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम
2. 70-80%	लेहरदगा, सराईकेला
3. 60-70%	राँची, दुमका, जामताड़ा
4. 50-60%	देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा
5. 40-50%	गिरीडीह, कोडरमा, गोड्डा, हजारीबाग
6. 40% से नीचे	बोकरो (36.22%), धनबाद (8.3%) देवघर

भारत में गरीबी

शहरी गरीबी का जन्म झोपड़ पट्टियों में होता है वह वहां के ना बांस अथवा लकड़ी के छोटे-छोटे मकान बनाकर रहते हैं। वे निर्धन बेरोजगार हैं। आज शहरों में जो लोग पढ़े लिखे हैं वे भी बेरोजगार घुम रहे हैं। शहर में गरीबी तेजी से बढ़ने का कारण बढ़ती जनसंख्या, लोगों में शिक्षा की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी लिंग असमस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं। गरीबी के कारण कई अपराधिक समस्याएँ जैसे : वेश्याकृति, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी बाल-अपराध आदि निर्धनता कई समस्याओं को जन्म देती हैं।

2009-10 सर्वे के अनुसार देशभर में लगभग देश की जनसंख्या का लगभग 7% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश भर में लगभग 50 प्रतिशत भारतीयों के पास छत नहीं है। 70 प्रतिशत लोग शौचालय के लिए बाहर जाते हैं 35 प्रतिशत लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता है। 85 प्रतिशत गांवों में (द्वितीयक स्कूल) नहीं है। 40 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में पक्की सड़क तक नहीं है।

सरकार जो योजनाएं बनाई है कई लोगों को तो उनके बारे में पता तक नहीं है। और जिन लोगों को पता है वह उनका लाभ तक नहीं उठा पा रहे हैं। लोग अशिक्षा के कारण जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और अज्ञान उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे हैं।

शहरी गरीब जो अपना जीवन, कूड़ा कचड़ा, मलिन बस्ती, रेल के पट्टरियों के पास, फूट-पॉथ आदि पर रह कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

प्रत्येक वर्ष उनका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।

सरकार द्वारा बनाई गई शहरी गरीबों के लिए योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) : के संबंध में लिखा है, भारत के नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन-समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि करना। बेरोजगार के अवसर अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्राप्त हो सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 70 लाख व्यक्तियों की नौकरी की सुविधाएं प्रदान की गईं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : 1 अप्रैल 1956 से आरंभ हुई। भारत समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के लिए यह योजना तैयार की गई। लगभग 100 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुविधाएं प्रदान की गई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना : 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों से सार्वजनिक निर्माण को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया जिसमें व्यक्तियों की अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। इस योजना काल में 145 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) : इस योजना के तहत निर्धन, दुर्बल एवं पिछड़े वर्ग की जीविका सुलभ कराई गई। जैसे : लघु उद्योग, सहकारिता, सड़क निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन आदि। इस योजना के द्वारा 180 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुविधाएं प्रदान की गई।

पंचम पंचवर्षीय योजना : 1 अप्रैल 1974 इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शिक्षित बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया इसमें विशेष ध्यान दिया गया इसमें विशेषतया लघु उद्योग धंधे जैसे : पशु-पालन, दुग्ध व्यवसाय, ग्रामीण निर्माण कार्य आवास तथा स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम अपनाए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना : का मुख्य लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन और रोजगार की रोजगार की सुविधाएं में वृद्धि करना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना : में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना रखी गई है। भारत में विकलांग लोगों के लिए पृथक रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है। जिसके माध्यम से अब तक हजारों विकलांगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना : (1992-97) में निर्धनता उन्मूलन हेतु नीजि एवं घरेलू क्षेत्रों की संतुलित रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाएं। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उपर उठाने का प्रयत्न करना तथा आर्थिक समाजिक विषमता को दूर करना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना : (1997-2002) में इस योजना के तहत वेधर निर्धन परिवारी को सार्वजनिक आवस सहायता, अर्थपूर्ण रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देना, समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य एवं पोषहार सुरक्षा प्रदान करना, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना आदि।

दसवीं पंचवर्षीय योजना : (2002-07) की राष्ट्रीय परिषद् ने 21 परिषद् ने 21 दिसम्बर 2002 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसका मुख्य लक्ष्य है सन् 2007 को तक निर्धनता का औसत कम करने 26 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक लाना है। इस योजना में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने का उद्देश्य रखा गया है।

आर्थिक नीतियां इस प्रकार बनाई गईं जाएं और लागू की जाएं जिससे निर्धन लोगों की चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के हो अथवा नगरीय अधिक लाभ प्राप्त हो सके। गरीबी रेखा के नीचे लोगों को उपर उठाने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

सरकार द्वारा बनाई गई अन्य सरकारी योजना :

1. **मलिन बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम :** मलिन बस्तियों के सुधार और विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम अगस्त 1996 से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी इलाकों में मलिन झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र को झुग्गी बस्तियों में जल-आपूर्ति बरसाती पानी को निकासी के लिए नलियां समुदायिक शौचालय और सीवरी तथा सड़कों को बस्तियों आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन बस्तियों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
2. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :** दिसम्बर 1997 से एक नई योजना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार के प्रावधान या स्वयं का उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारी या अर्द्ध-बेरोजगार गरीबी को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराए जाते

है। इस योजना में केन्द्र और राज्य 75:25 के अनुपात में योगदान करते हैं।

योजना में दो विशेष कार्य कम शामिल है :-

1. शहरी रोजगार कार्यक्रम
2. शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम

(योजना के लिए आवंटित विधि 2008-09 के दौरान 515 करोड़ रूपय थी और 31 मार्च 2011 तक 540.67 करोड़ रूपय जारी किए जा चुके थे।)

3. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना : इस योजना की शुरुवात प्रधानमंत्री द्वारा 2 दिसम्बर 2001 में की गई। इस योजना का पहला उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन शहरों गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करना जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों के लिए आश्रम बनाना तथा मौजूद आश्रमों को प्रोन्नत कर शहरी वातावरण को स्वास्थ्य बनाना है।

बी.पी.एल क्या है ? सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएँ बनाई है ?

वह रेखा जो गरीबी सीमा को निर्धारित करती है, अर्थात् जिसके आधार पर गरीबी की संख्या का निर्धारण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका निर्धारण सीमा 47रु. प्रतिदिन जो व्यक्ति कमाता है। वह गरीबी रेखा से नीचे है।

भारत वर्ष भर में लगभग 21.92 प्रतिशत भारतीय है जो गरीबी रेखा से नीचे है।

शहरी क्षेत्रों में जिनकी भी आय, 27000 प्रति वर्ष आय है वह गरीबी रेखा से नीचे है।

सरकार द्वारा बनाई गई गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं

1. **बी.पी.एल कार्ड**

सरकार द्वारा शहरी गरीबी जिसकी न्यूनतम आय 17,000 रूपये प्रतिवर्ष और ग्रामीण गरीब जिसकी न्यूनतम आय 12,000 रूपये प्रतिवर्ष आय से कम है उन सभी को बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

2. मनरेगा

गरीबी रेखा से उभरने के लिए सरकार ने 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना बनाई है। जिसमें बेरोजगार लोगों को 100 दिन की रोजगार देने 155 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से लोगों को प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। जिससे लोग अपना जीवन यापन कर पायेंगे।

3. बिरसा आवास योजना :

सरकार द्वारा दी गई गरीबों के लिए यह योजना जिसकी न्यूनतम राशि 70,500 रुपये है। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को दिया जाता है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका उद्देश्य :

भारत सरकार द्वारा यह योजना गरीब लोग या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के लिए है। जिसमें भारत सरकार के द्वारा महिलाओं की कुटीर उद्योग सिखाना, मछली पकड़ना, मुर्गी पालना आदि अन्य प्राथमिक कार्य है जो महिलाओं को अपने जीवन जीने के लिए सीखाया जाता है।

5. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना :

इस योजना के अंतर्गत चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया है।

6. अन्नपूर्णा योजना :

इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।

उद्देश्य

इस विषय का चुनाव करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी की समस्या को जानना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की प्रकृति अलग-अलग होती है उनकी परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और साथ ही उसकी निवारण हेतु किए जाने वाले उपायों को समझना जिसे जानकर इसे दूर करने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें। साथ ही लोगों की गरीबी के प्रति सचेत और जागरूक करना भी हमारा लक्ष्य है :-

- गरीबी की समस्या को जानने के उद्देश्य से।
- गरीबी दूर करने के लिए संभावित आर्थिक को जानने के उद्देश्य से।
- गैर सरकारी संगठन द्वारा दी जाने वाली सहायता को जानने के उद्देश्य से।
- सरकारी योजनाओं का उन तक पहुंच की वास्तविक स्थिति को जानने के उद्देश्य से।

तथ्य संकलन संबंधी कठिनाइयां

- मेरे लिए यह सर्वेक्षण का कार्य पहला अनुभव तथा अतः अनुभव हिनता के कारण मुझे तथा संकलन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- विषय से संबंधित साहित्यों का अध्ययन करने में भी परेशानियां आईं।
- तथ्यों को संकलन हेतु सीमित अध्ययन पद्धतियों का ही व्यावहारिक प्रयोग करना पड़ा।
- तथ्य संकलन के समय एक ही प्रश्न को बार-बार उत्तरदाता का सामना करना पड़ता है।
- उत्तरदाताओं का समय लेने में काफी अड़चने आईं।
- अध्ययन क्षेत्र सीमित एवं छोटा होने के कारण उत्तरदाताओं के चयन में काफी परेशानी उठानी पड़ी।
- योजनाओं से उन्हें लाभ होता है या नहीं इसकी जानकारी के उद्देश्य से।
- समाजशास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्य से।

तथ्य संकलन संबंधी विधियां

1. अवलोकन विधि

अवलोकन एक विधि है जिसमें दृष्टि के आधार पर सामग्री संग्रह किया जाता है। इसमें कानी और ध्वनि की अपेक्षा आँखों को प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसमें घटना को देखना और उन्हें अलोखित किया जाता है।

हमलोग गरीबी की अध्ययन सहभागी तरीके से कर रहे हैं चूंकि अवलोकन कर्ता घटनाओं में सहभागी होता है। वह घटनाओं से प्रभावित होता है। घटनाओं का आत्मपरकता से अर्थ निकालता है। वह एक जानकारी की अभिलेख कर सकता है।

पी.वी.यंग "निरीक्षण आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रविधि है जिससे की सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न ईकाईयो का अध्ययन किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि निरीक्षण एक ऐसी अनुसंधान प्रविधि है जिसमें आँखों से आंकड़े संकलित करके उन्हें लेखबद्ध किया जाता है।

अवलोकन के प्रकार

- सहभागी अवलोकन
- असहभागी अवलोकन
- व्यवस्था अवलोकन
- अव्यवस्थित अवलोकन

अध्ययन हेतु हमने सहभागिक अवलोकन का प्रयोग किया है।

प्राकल्पना

प्राकल्पना चरों के बीच के संबंधों के विषय में एक पूर्वानुमान है। यह अनुसंधान की समस्या की प्रायोगिक व्याख्या है, या अनुसंधान के निष्कर्षों के विषय में अनुमान।

थियोडोरसन (1969:191) के अनुसार प्राकल्पना कुछ तथ्यों के बीच संबंध में दावे के साथ किया हुआ एक प्रयोगार्थ कथन है।

कैरलिंगन (1973:8) इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, "प्रकल्पना अनुमान से कहा गया कथन है जो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है।

प्राकल्पना के प्रकार

- कार्यकारी प्राकल्पना
- अनुसंधान प्राकल्पना
- निराकरणीय प्राकल्पना
- सांख्यिकीय प्राकल्पना
- वैकल्पिक प्राकल्पना
- वैज्ञानिक प्राकल्पना

साक्षात्कार

साक्षात्कार वह पद्धति है जो मनुष्य की इन्द्रियों पर आधारित है अर्थात् इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री का संकल्प किया जाता है।

गुड तथा हॉट, "साक्षात्कार मौखिक रूप से सामाजिक अनतः क्रिया की एक प्रक्रिया है।

सिन पाओ येंग, "साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की प्रविधि है जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यवहार के निगरानी करने। कथनी की अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अनतः क्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।

इस प्रकार साक्षात्कार समाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता के विचारी और भावनाओं में प्रवेश करके तथ्यों का संकलन करता है।

साक्षात्कार प्रविधि का महत्व

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोग व्यक्ति के कुछ अपने विचार, भावनाएं और धारणाएं होती हैं। जिनका अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार पद्धति के आधार पर ही किया जा सकता है।

- अमूर्त घटनाओं का अध्ययन
- भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन

➤ विविध सूचनाओं की प्राप्ति

साक्षात्कार पद्धति का सर्वेक्षण में प्रयोग

मैंने अपने अध्ययन में व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग किया। इसके लिए मैंने सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किये और वार्तालाप को स्थिती पैदा हो जाने के बाद साक्षात्कार अनुसूची की एक-एक की पूछना आरंभ की और उनके उत्तरी की साथ-साथ लिखती गई प्रश्न पूछते समय में उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने में निरस महसूस नहीं हुआ।

इस प्रकार मैंने साक्षात्कार के माध्यम से गरीबी से संबंधित तथ्य का संकलन किया।

साक्षात्कार के प्रकार :

- संरचित साक्षात्कार
- असंरचित साक्षात्कार

अनुसूची

अनुसूची एक फार्म के रूप में है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियां होती हैं, जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। विभिन्न विद्वानों ने इसको आग्रकित प्रकार से परिभाषित किया है।

गुडे एवं हार्ट :

के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समुह का नाम है जो साक्षात्कार कर्ता द्वारा किसी दुसरे व्यक्ति से आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।

डॉ. एम. एच. गोपाल के अनुसार, अनुसूची उन विभिन्न की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता होती है।

अनुसूची का महत्व

- अधिक प्रत्युत्तर
- प्रश्नों को सही तथा स्पष्ट उत्तर
- यथार्थ सूचनाओं की आपूर्ति

- सूचना लिखने की सुविधा
- अवलोकन की सुविधा
- निःसंकोच सूचनाओं की प्राप्ति
- सरल सांख्यिकीय विश्लेषण

अनुसूची पद्धति का सर्वेक्षण में प्रयोग :

अनुसूची को निर्माण करके से पहले गरीबी की समस्या के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट की। इसके बाद इस समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में वास्तविक प्रश्नों की रचना की। इन प्रश्नों की एक कागज पर उपवाया इस प्रकार अनुसूची तैयार कर में सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित की तथा उन्हें अपने अध्ययन का उद्देश्य बताकर साक्षात्कार द्वारा अनुसूची के एक-एक प्रश्नों को पूछा और सूचनादाताओं ने जिन विकल्पों के बारे में बताया। उसे उसी समय अनुसूची में टिक करती गई।

इस प्रकार अनुसूची की सहायता से गरीबी की समस्या से संबंधित भाँकड़ों का एकत्रित किया।

निदर्शन

निदर्शन समग्र का एक छोटा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएं पाई जाती हैं।

गुडे तथा हॉट के अनुसार "एक निदर्शन जैसे की इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।

पी.वी.यंग के अनुसार :-

"एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का अति लघु चित्र है। जिसमें से की निदर्शन लिया गया है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निदर्शन किसी विशाल समूह समग्र था योग का एक अंश है जोकि समग्र का प्रतिनिधित्व है।

निर्देशन के प्रकार

दैव निदर्शन

संभावित निर्देशन	असंभावित निर्देशन
सरल दैव निदर्शन सीमित दैव निदर्शन अन्य दैव निदर्शन	सविचार निर्देशन सुविधापूर्ण निर्देशन स्वयं चयनित निर्देशन निर्दिष्टांश निर्देशन

में 'गरीबी' की समस्या का अध्ययन के लिए 'सुविधापूर्ण निदर्शन' का चुनाव की हैं। इसके महत्व निम्नलिखित है :-

- समय की बात
- धन की बचत
- श्रम की बचत
- गहन अध्ययन
- परिणामों की परिशुद्धता
- तथ्यों की पुनपरीक्षा
- प्रशासनिक सुविधा

सर्वेक्षण

किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरक्षण करने की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहते है।

सर्वेक्षण निरीक्षण - परीक्षण को वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी सामाजिक समूह या सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है।

बोगार्ड्स के अनुसार "एक सामाजिक सर्वेक्षण में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन-सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते है। मोरस के अनुसार "सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति। समस्या या जनसंख्या की परिभाषित उद्देश्यों के लिए तथा वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है।

सामाजिक सर्वेक्षण का महत्व

सामाजिक तथ्यों का संकलन इसके माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का संकलन कर सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है।

सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वेक्षण में प्रयोग

मैंने गरीबी की समस्या का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया। अध्ययन क्षेत्र के लिए मैंने पलामू जिला के प्रखंडों का नाम कर सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया। सूचनादाताओं से प्राप्त तथ्यों को वर्गीकृत कर उनका सारणीयन तथा विश्लेषण कर उनका सामान्यीकरण किया सर्वेक्षण के सामान्य निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया।

सुझाव

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की योजनाबद्ध रूप से कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए।
- बेरोजगारी के लिए कृषि से संबंधित कुटीर व्यवसाय कृषि से संबंधित व्यवसायी की व्यवस्था की जाय।
- बढ़ती हुई आबादी गरीबी का प्रमुख कारण अबाद, इस पर रोक लगाना परिवार नियोजन के कार्यक्रम की प्रचार प्रसार कर गरबिन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
- भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाय ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से प्रयत्न किये जा सकी।
- सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्त किया जाय। दहेज, मृत्यु-भीज और अन्य ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए कठोर कानून बनाये जाय।
- शिक्षा का प्रसार सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाये जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी और अज्ञानता रुढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से भी छुटकारा मिल सकेगा।
- गन्दी बस्तियों को समाप्त कर उनके बस्तियों को समाप्त कर उनके स्थान पर नियोजित बस्तियां बसायी जाय।

तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण

सारणी संख्या- 1

लिंग के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
स्त्री	3	1.2
पुरुष	22	8.8
बच्चे	0	0
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से स्त्रियी की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है पुरुषों की संख्या 22 अर्थात् 88 प्रतिशत और बच्चों की संख्या 0 है।

सारणी संख्या- 2

आयु के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
18-23	1	4
23-28	3	12
28-33	10	40
38-43	6	24
43-48	5	20
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में 18-23 आयु वर्ग की संख्या 1 अर्थात् 4 प्रतिशत 23 से 28 वालों की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है। 28-33 वालों की संख्या 10 अर्थात् 40 प्रतिशत, 38-43 वालों की संख्या 6 अर्थात् 24 प्रतिशत और 43 या उससे अधिक आयु वाली की संख्या 5 है अर्थात् 20 प्रतिशत।

सारणी संख्या - 3

धर्म के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
हिन्दु	3	12
इस्लाम	18	72
सरना	4	16
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है, इस्लाम अर्थात् मुस्लमानों की संख्या 18 अर्थात् 72 प्रतिशत है और सरना धर्म के लोगों की संख्या 4 अर्थात् 16 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 4

शिक्षा के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
अनपढ	3	12
प्राथमिक	22	88
द्वितीयक	0	0
मैट्रिक	8	20
इंटर	2	8
स्नातक	1	4
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से अनपढ की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है। प्राथमिक की संख्या 22 अर्थात् 88 प्रतिशत है। द्वितीयक की संख्या 0 अर्थात् 0 प्रतिशत है। मैट्रिक करने वाली की संख्या 8 अर्थात् 32 प्रतिशत है। इंटर करने वाली की संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत और स्नातक की संख्या 1 अर्थात् 4 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 5

वैवाहिक स्थिति से संबंधित सारणी

विवाह के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
विवाहित	20	80
अविवाहित	5	20
विधवा	0	0
तलाकशूदा	0	0
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित तरदाताओं में से विवाहितों के संख्या 20 अर्थात् 80 प्रतिशत है और अविवाहितों की संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 6

परिवार के प्रकार के संबंधित सारणी

परिवार के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
एकांकी	17	68
संयुक्त	8	32
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से एकांकी परिवारों में रहने वाली की संख्या 17 अर्थात् 68 प्रतिशत है और संयुक्त परिवार में रहने वाली की संख्या 8 अर्थात् 32 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 7

मकान से संबंधित सारणी

मकान के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
अपना मकान	13	52
किराए का मकान	12	48
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित तरदाताओं में से जो व्यक्ति अपने मकान में रहते हैं उनकी संख्या 13 अर्थात् 52 प्रतिशत है और जो किराए के मकान में रहते हैं उनकी संख्या 12 अर्थात् 48 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 8

कमरों की संख्या से संबंधित सारणी

कमरे के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1	6	24
2	12	48
3	3	12
4	2	8
5	0	0
6	2	8
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिनके घरों में 1 कमरे का मकान है उनकी संख्या 6 अर्थात् 24 प्रतिशत है 2 कमरे वाली की संख्या 12 अर्थात् 48 प्रतिशत है। 3 कमरे वाली की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है। 4 कमरे वाली की संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत है। 5 कमरे वाली के संख्या 0 और 6 कमरे वाली की संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत है।

सारणी संख्या- 9

आय से संबंधित सारणी

मसिक	संख्या	प्रतिशत
1000-2000	3	12
2000-3000	2	8
3000-4000	4	16
4000-5000	5	20
5000-6000	3	12
6000-7000	7	28
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि उपर्युक्त सारणी के आधार पर चयनित उत्तरदाताओं में से जिन व्यक्ति की आय 1000-2000 प्राय है उनकी संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है 2000-3000 वाली को संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत है 3000-4000 वाली की संख्या 4 अर्थात् 16 प्रतिशत है। 4000-5000 वाली की संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है 5000-6000 की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है और 6000-7000 की संख्या 7 अर्थात् 28 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 10

कर्ज से संबंधित सारणी

कर्ज लिया है	संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिन व्यक्तियों ने कर्ज लिया है उनकी संख्या 20 अर्थात् 80 प्रतिशत जिसने नहीं लिया है उसकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या -11

लेनदार से संबंधित सारणी

किससे लिया है	संख्या	प्रतिशत
किसी व्यक्ति से	10	40
सेठ-साहुकार से	2	8
बैंक से	8	32
मलिक से	5	20
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है उनकी संख्या 10 अर्थात् 40 प्रतिशत जिसने किसी सेठ साहुकार से लिया है उसकी संख्या 2 है अर्थात् 8 प्रतिशत जिन लोगों ने बैंक से लिये है उनकी संख्या 8 अर्थात् 32 प्रतिशत है जिसने अपने मालिक से लिया है उसकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या 12

गरीबी के कारण से संबंधित सारणी

गरीबी के कारण	संख्या	प्रतिशत
मंहगाई	17	68
बढ़ती जनसंख्या	6	24
कम पैसा	1	4
काम नहीं मिलना	1	4
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से गरीबी के बढ़ते हुए कारण मंहगाई को 17 लोग अर्थात् 68 प्रतिशत लोग मानते हैं दूसरी बढ़ती जनसंख्या 6 लोग अर्थात् 24 प्रतिशत तीसरा कम पैसा देना अर्थात् 4 प्रतिशत और काम नहीं मिलना 1 प्रतिशत लोग मानते हैं।

सारणी संख्या - 13

गरीबों के व्यक्तिगत कारण से संबंधित

सारणी	संख्या	प्रतिशत
व्यावहारिक कारण	1	4
बीमारी	12	48
दुर्घटना	5	20
मानसिक समस्या	3	12
फिजूल खर्ची	3	12
केश मुकदमा	1	4
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से गरीबी अर्थात् 4 प्रतिशत बीमारी से 12 अर्थात् 48 प्रतिशत दुर्घटना से 5 अर्थात् 20 प्रतिशत मानसिक समस्याओं से 3 अर्थात् 12 प्रतिशत फिजूल खर्ची से 3 अर्थात् 12 प्रतिशत लोग मुकदमा से 1 अर्थात् 4 प्रतिशत लोग गरीबी की व्यक्तिगत कारण मानते हैं।

सारणी संख्या - 14

बीमारी में सलाह से संबंधित सारणी

बीमारी में सलाह	संख्या	प्रतिशत
ओझा	2	8
वैद्य	0	0
डॉक्टर	23	92
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जो व्यक्ति बीमारी में ओझा से सलाह लेते हैं उसकी संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत और डॉक्टर से सलाह लेने वाली की संख्या 23 अर्थात् 92 प्रतिशत है और वैद्य से सलाह लेने वाली की संख्या 0 है।

सारणी संख्या - 15

बोट संबंधी सारणी

बोट संबंधी	संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिसने कभी बोट दिया है उसकी संख्या 20 अर्थात् 80 प्रतिशत है और जिसने नहीं दिया है उसकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 16

स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित सारणी

स्वास्थ्य संबंधी	संख्या	प्रतिशत
दृष्टिदोष	5	20
सुनने की समस्या	5	20
नींद का अभाव	7	28
जोड़ में दर्द	8	32
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिन्हें कभी दृष्टिदोष से परेशानी है उसकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है सुनने की समस्या से 5 लोग अर्थात् 20 प्रतिशत है। नींद के अभाव से 7 लोग अर्थात् 28 प्रतिशत है और जोड़ के दर्द से 8 लोग है अर्थात् 32 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 17

कार्ड संख्या संबंधित सारणी

कार्ड संबंधी	संख्या	प्रतिशत
लाल कार्ड	10	40
बी.पी.एल. कार्ड	5	20
पीला कार्ड	10	40
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिनके पास लाल कार्ड है उनकी संख्या 15 अर्थात् 60 प्रतिशत है जिसके पास पीला कार्ड है उसकी संख्या 10 अर्थात् 40 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 18

सरकारी योजना से संबंधित सारणी

सरकारी योजना	संख्या	प्रतिशत
मनरेगा	7	28
न्यूनतम मजदूरी	9	36
दाल-भात योजना	16	24
अन्य	3	12
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिन उत्तरदाताओं की सरकारी योजनाओं की जानकारी है जिसमें मनरेगा में से 7 अर्थात् 28 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 19

एन.जी.ओ. संबंधित सारणी

एन.जी.ओ. कार्यरत है	संख्या	प्रतिशत
हाँ	7	28
नहीं	18	72
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिनके पास एन.जी.ओ. कार्यरत है उनकी संख्या 7 अर्थात् 28 प्रतिशत और जिनके क्षेत्र में एन.जी.ओ. कार्यरत है उनकी संख्या 18 अर्थात् 72 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 20

चिकित्सा पर खर्च संबंधी सारणी

चिकित्सा पर खर्च	संख्या	प्रतिशत
चिकित्सा	15	60
स्वयं	7	28
निर्भर	3	12
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिनका खर्च चिकित्सा पर होता है उनकी संख्या 15 अर्थात् 60 प्रतिशत स्वयं पर खर्च करने वाली की संख्या 7 अर्थात् 28 प्रतिशत और दूसरी पर निर्भर रहने वाली की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 21

आर्थिक निर्भरता से संबंधी सारणी

आर्थिक निर्भर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जो आर्थिक निर्भर है उसकी संख्या 20 अर्थात् 80 प्रतिशत है और जो नहीं है उनकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 22

सरकार द्वारा मदद से संबंधित सारणी

सरकार द्वारा मदद	संख्या	प्रतिशत
हाँ	10	40
नहीं	15	60
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिन्हें सरकार द्वारा कोई मदद मिली है उसकी संख्या 10 अर्थात् 40 प्रतिशत है और जिन्हे नहीं मिली है उनकी संख्या 15 अर्थात् 60 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 23

जाति से संबंधी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
पिछड़े वर्ग)

जाति संबंधित	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	5	20
जनजाति	10	40
अनुसूचित जनजाति	0	0
अन्य पिछड़े वर्ग	0	0
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जाति पर आधारित जो सामान्य वर्ग के है उनकी संख्या 5 अर्थात् 20 प्रतिशत है जो जनजाति है उसकी संख्या 10 अर्थात् 40 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 और पिछड़े वर्गों की संख्या 0 अर्थात् 0 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 24

कर्ज लेने के कारण से संबंधित सारणी

कर्ज लेने के कारण	संख्या	प्रतिशत
दैनिक वस्तुओं के लिए	2	8
दवा इलाज के लिए	12	48
दहेज देने के लिये	4	16
भोजन के आयोजन के लिए	3	12
अन्य के आयोजन के लिए	4	16
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जो किसी दैनिक वस्तुओं के लिए कर्ज लिया है उनकी संख्या 2 अर्थात् 8 प्रतिशत है। जो किसी दवा इलाज के लिए है उसकी संख्या 12 अर्थात् 48 प्रतिशत है। दहेज के लिए लेने वाली की संख्या 4 अर्थात् 16 प्रतिशत है। भोजन के आयोजन के लिए लेनेवाली की संख्या 3 अर्थात् 12 प्रतिशत है और अन्य किसी कारण के लेने वाली को संख्या 4 अर्थात् 16 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 25

गलत काम करने से संबंधित सारणी

गलत काम	संख्या	प्रतिशत
किया है	0	0
नहीं किया है	25	100
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जिसने पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम किया है वे एक भी नहीं अर्थात् 0 प्रतिशत और जिसने कोई गलत काम नहीं किया है वे 25 अर्थात् 100 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 26

नशा करने से संबंधित सारणी

नशा किया है	संख्या	प्रतिशत
हाँ	14	56
नहीं	11	44
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जो नशा करते हैं उनकी संख्या 14 अर्थात् 56 प्रतिशत है और जो नहीं करते हैं उनकी संख्या 11 अर्थात् 44 प्रतिशत है।

सारणी संख्या - 27

पास पड़ोस में सफाई से संबंधित सारणी

पास-पड़ोस में सफाई	संख्या	प्रतिशत
हाँ	12	48
नहीं	13	52
कुल	25	100

उपर्युक्त सारणी के आधार पर रूपांतरित है कि चयनित उत्तरदाताओं में से 12 लोग अर्थात् 48 प्रतिशत लोगो के पास पड़ोस में सफाई है और 13 अर्थात् 52 प्रतिशत लोगों के पास पड़ोस में सफाई नहीं है।

निष्कर्ष

गरीबी का मुख्य कारण अशिक्षा, बेरोजगारी है। अशिक्षा के कारण लोगों में जागरूकता की कमी है अशिक्षित होने के कारण उन्हें सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं उनके पास रहने के लिए सही से एक मकान भी नहीं है वे झुग्गी झोपड़ पट्टियों में रहकर किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खाने के लिए उन्हें दो वक्त का सही से भोजन भी नहीं मिल पाता है। गरीबी के कारण लगभग 44 प्रतिशत लोग अपने बच्ची को शिक्षा नहीं दे पाते हैं।

गरीबी के कारण कई अपराधिक समस्याएं हमारे समाज में उत्पन्न हो रही हैं जैसे : भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, बाल अपराध इत्यादि।

सरकार गरीबों के लिए जो भी योजनाएं बनाई है वे सही से इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं जो एक मुख्य कारण गरीबी का यह भी है।

परिशिष्ट

1. मुद्दे एवं समस्याएं : प्रो.एम.एल गुप्ता, डॉ. डी. शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन
2. नगरीय समाजशास्त्र : डॉ. वी.एन.सिंह विवके प्रकाशन
3. www.google.com

SANT TULSIDAS COLLEGE, REHLA, PALAMU

College:-St. Tulsidas, College, Rehla, palamu


Course:-B.A (Sociology Project) Date:-21.04.2023

Subject:-Sociology-CC-14

SI No	IDR No.		Student Name	Copy No	Add. Copy No	Student Signature
1	18BA-1413369	NPU/16520/18	ANUPAMA KUMARI			अनुपमा कुमारी
2	200140500932	NPU/16902/19	AMIT KUMAR			Amit Kumar
3	200140500934	NPU/16904/19	BIKASH KUMAR GUPTA			Bikash Kumar Gupta
4	200140500938	NPU/16908/19	MITHLESH PASWAN			मिथलेश पशवान
5	200140500940	NPU/16910/19	NIRANJAN PASWAN			Nirajan Paswan
6	200140500944	NPU/16914/19	SANDHAYA KUMARI			संधया कुमारी
7	200140500945	NPU/16915/19	SUPRIYA KUMARI			Supriya Kumari

Dr. P. Kumar

Invigilator-1


21-04-2023
Invigilator-2

Principal
Sant Tulsidas College
Rehla, Palamu